[2025] 4 एस0सी0आर0 156: 2025 आईएनएससी 376

राज्य (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

बनाम

मोहम्मद सलीम जरगर उर्फ फयाज तथा अन्य

(दाण्डिक अपील सं0 1681 वर्ष 2009)

20 मार्च 2025

(अभय एस. ओका एवं उज्जल भूयाँ, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

रणवीर दण्ड संहिता, 1932 तथा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 के अन्तर्गत अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने वाले विशेष न्यायालय के निर्णय तथा आदेश के विशुद्धता के संबंध में मुद्दा उठा था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987- धारा 3, 4, 15, 19 - टाडा नियमावली - नियम 15 - संस्वीकृतिक कथन को अभिलिखित किया जाना - अननुपालन - परिणाम - यह अभिकथन करते हुए शिकायत कि कश्मीर विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति तथा इनके निजी सचिव को इनके सरकारी कार से सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा व्यपहृत किया गया था तथा तत्पश्चात, इसके शवों को बरामद किया गया था- केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो द्वारा अन्वेषण से प्रकट होता है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन, जम्मू एवं कश्मीर छात्र मुक्ति मोर्चा- जेकेएसएलएफ का तथाकथित मुख्य कमांडर अभियुक्तगण सहित अन्य सदस्यों के साथ, जनसाधारण के मन में आतंक पैदा करने के लिए मृतक का व्यपहरण करने हेतु षड्यंत्र किया था, तद्द्वारा बंधकों को प्राणदण्ड देने एवं अपने साथियों को छुड़वाने के लिए सरकार को बाध्य किया था यदि इनके कामों को पूरा नहीं किया जाता है- चूँकि सरकार ने इनके मांग को पूरा नहीं किया था, बंधकों को खेत में ले जाया गया था जहाँ अभियुक्त- प्रत्यर्थी सं0 1 ने इन लोगों पर कई गोली से क्षतियाँ कारित करते हुए एके-47 राइफल से गोली चलाया था जिसके परिणामस्वरूप इनकी मृत्यु हुई थी - विशेष न्यायालय ने अभियुक्तगण के चक्षुष साक्ष्य तथा संस्वीकृतिक कथनों को साक्ष्य में अग्राह्य होने के नाते त्यक्त किया था तथा यह धारित करते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया था कि अभियोजन अभियुक्तगण के अपराध को किसी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है - विशुद्धता:

अभिनिर्धारित: अपराध के हथियार के बरामद न किये जाने के साथ अभियोजन साक्षीगण का परिसाक्ष्य अभियोजन मामले को गंभीरतापूर्वक क्षतिग्रस्त करता है- जहाँ तक प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृतिक कथन के अभिलिखित किये जाने का संबंध है, सन्नियमों से स्पष्ट अन्तर है जो संस्वीकृति को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है- प्रश्नोत्तरी के रूप में अभिलेख में कोई कथन अन्तर्विष्ट नहीं है जिससे यह अर्थ निकाला जा सके कि प्रत्यर्थी सं0-1 स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा था - विचार हेतु असंभाव्य कोई या समय नही दिया गया था जो उक्त संस्वीकृतिक कथन को संदूषित करता है- संस्वीकृतिक कथन के अभिलिखित किये जाने के तिथि में फर्क भी- प्रत्यर्थी सं0 1 के इस असली संस्वीकृतिक कथन को अग्राह्य तथा अविश्वासनीय माना गया था

तथा एक पूर्व मामले में विशेष न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था- प्रत्यर्थी सं0 1 के उपर्युक्त संस्वीकृति कथन की स्वीकृति एक के हत्या के संबंध में पूर्व दाण्डिक विचारण में पहले ही अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करेगा- इसी तरह, उक्त कथन नियम 15 के अन्तर्गत उपबंधित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षापायो के अननुपालन द्वारा स्पष्ट रूप से संदूषित है- इसके अलावा, एक ही तरह से प्रत्यर्थी सं0 2 तथा प्रत्यर्थी सं0 6 के संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित किया गया क्योंकि प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृतिक कथन को असंभाव्य रूप से कोई या कोई समय इन्हें संस्वीकृतिक कथन अभिलिखित करने के पहले विचार हेतु नही दिया गया था- सबसे अधिक निर्णायक लोप पूर्णतया उक्त दोनों संस्वीकृतिक कथनों को संदूषित करता है- अभियुक्त के संस्वीकृतिक कथन को अभिलिखित करने हेतु प्रक्रिया संबंधी सुरक्षोपायो की पूर्ण उपेक्षा की गई- विशेष न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि यह शक्ति तथा प्राधिकार के दुरूपयोग का मामला है- प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में विशेष न्यायालय द्वारा ग्रहण किये गये विचार में कोई त्रुटि या दोष नहीं- रणवीर दण्ड संहिता, 1932 - धारा 118, 120ख, 302, 341, 364, 368, 365-आयुध अधिनियम, 1959- धारा 3/25 (पैरा 11, 22.1-22.3, 24, 25, 25.1, 27, 28)

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987- धारा 15 - टाडा नियमावली- नियम 15- संस्वीकृतिक कथन के अभिलिखित किये जाने से संबंधित प्रावधान- समझाया गया। (पैरा 13, 14)

आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 - धारा 3(1), 19-घटना जनसाधारण के मन में आतंक पैदा करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र करने के पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिकथित रूप से श्रीनगर में कंपनी के महाप्रबन्धक का व्यपहरण तथा पश्चातवर्ती हत्या तद्द्वारा सरकार को अपने साथियों को छुड़वाने के लिए मजबूर करने से संबंधित- विशेष न्यायालय ने टाडा एक्ट की धारा 3(1) सपठित रणवीर दण्ड संहिता की धारा 120ख, 302, 368 तथा 364 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त किया था- को चुनौती

अभिनिर्धारित: हमला का हथियार बरामद नही तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने अभिसाक्ष्य दिया कि न्यायालय में पेश प्रत्यर्थीगण अभियुक्तगण नहीं थे- सम्पूर्ण अभियोजन मामला अभियुक्त एसजेड के संस्वीकृतिक कथन के आसपास केन्द्रित जिसे पहले ही नामंजूर किया गया है। (पैरा 32, 33)

उद्धृत निर्णय जन्य विधि

कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1994) 2 एससीआर 375: (1994) 3 एससीसी 569 - अनुसरण किया गया।**

शराफत हुसैन अब्दुल रहमान शेख बनाम गुजरात राज्य **(1996) अनुपूरक 9 एससीआर 86: (1996) 11 एससीसी 62:** *एस.एन. दूबे बनाम एनबी भोइर* **(2000) 1 एससीआर 200: (2000) 2 एससीसी 254:** *अहमद हुसैन वली मोहम्मद/सैयद बनाम गुजरात राज्य* **(2009) 8 एससीआर 719: (2009)** *7 एससीसी 254: याकूब अब्दुल रजक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2013) 15 एससीआर 1: (2013) 13 एससीसी 1,** *राजा बनाम तमिलनाडु राज्य* **(2020) 4 एससीआर 1112: (2020) 5**

एससीसी 118: *रवीन्द्र सिंह बनाम सुखवीर सिंह (2013) 1 एससीआर 243:* **(2013) 9 एससीसी 245 - निर्दिष्ट**

अधिनियमों की सूची

रणवीर दण्ड संहिता, 1932; आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987; टाडा नियमावली; आयुध अधिनियम, 1959

प्रमुख शब्दों की सूची

संस्वीकृतिक कथनों का अभिलिखित किया जाना; कश्मीर विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति तथा इसके निजी सचिव का व्यपहरण सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किया गया; जम्मू एवं कश्मीर छात्र मुक्ति मोर्चा कहे जाने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन का तथाकथित मुख्य कमांडर; जनसाधारण के मन में आतंक पैदा करने के लिए व्यपहरण; बंधकों का मृत्युदण्ड; कई गोली से क्षतियाँ- चक्षुष साक्ष्य; संस्वीकृतिक कथन; साक्ष्य में अग्राह्य; अभियोजन साक्षीगण का परिसाक्ष्य; अपराध के हथियार का बरामद न किया जाना; संस्वीकृतिक कथन अभिलिखित करने के पहले विचार हेतु समय नहीं; एचएमटी वाच कंपनी, श्रीनगर के महाप्रबन्धक का व्यपहरण तथा हत्या, हमले का हथयार; षड्यंत्र; संस्वीकृतिक कथनों का सुरक्षोपाय, एके-47 राइफल।

मामले की उत्पत्ति

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं0 1681 वर्ष 2009 आरसी सं0 5 वर्ष 1990 में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 20-04-2009 से

के साथ

दाण्डिक अपील सं0 1770 वर्ष 2009

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता के अधिवक्तागण:

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री शुभी भारद्वाज, मुकेश कुमार मरोरिया, अन्नम वेंकटेश, जोहेव हुसैन, रजत नैयर, विवेक गुरनानी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण:

सुश्री कामिनी जायसवाल, सुश्री रानी मिश्रा, अबानी साहू

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

उज्जल भूया, न्यायमूर्ति,

दाण्डिक अपील सं0 1681 वर्ष 2009

यह तृतीय अपर सेशन जज, जम्मू (संक्षेप में 'विशेष न्यायालय' एतस्मिन् पश्चात) द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश दिनंाक 20-04-2009 पर अभ्याक्रमण करते हुए राज्य (के0अ0व्यू) द्वारा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अन्तर्गत अपील है। पूर्वोक्त निर्णय तथा आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को के0अ0व्यू0 मामला सं0 आरसी 5 (एस)/19990 तथा रणवीर दण्ड संहिता, 1932 (आरपीसी) की धारा 118, 302, 368 तथा 365 के अधीन एवं आतंवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, एतस्मिन् पश्चात टाडा एक्ट के रूप

में निर्दिष्ट (अब निरसित) की धारा 3 तथा 4 के अधीन अपराधों के लिए दोषमुक्त किया था।

2. मामले के उत्पत्ति का पता आरपीसी की धारा 364, 341 तथा 120ख सपठित टाडा एक्ट की धारा 3(2) के अन्तर्गत पुलिस थाना नगीन, श्रीनगर में पंजीकृत प्र0सू0रि0 सं0 55/1990 से लगाया जा सकता है। प्र0सू0रि0 कश्मीर विश्विद्यालय के एक चालक श्री गुलाम नबी डार द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इत्तिलाकर्ता ने अभिकथित किया था कि 06-04-1990 को लगभग 04.20 बजे अपराह्न, कश्मीर विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति डा0 मुशीर-उल-हक तथा इसके निजी सचिव श्री अब्दुल गनी जारगर का व्यपहरण सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा इनके सरकारी कार से विश्वविद्यालय के सदरवल गेट के बाहर किया गया था। सदरवल रोड पर लाल बाजार की ओर कुछ दूर उक्त वाहन में इन्हे ले जाने के बाद, इन्हें लाल मारूती वैन में बैठाया गया था तथा ले जाया गया था।

2.1 तत्पश्चात्, डा0 मुशीर-उल-हक तथा श्री अब्दुल गनी जारगर के शवों को 10-04-1990 को बरामद किया गया था। परिणामस्वरूप, धारा 302 रणवीर दण्ड संहिता तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3/25 (एतस्मिन् पश्चात आयुध अधिनियम) को प्रथम सूचना रिपोर्ट में जोड़ा गया था।

2.2 जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामले का अन्वेषण केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो (सीबीआई) को अन्तरित किया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो द्वारा अन्वेषण का कार्यभार संभालने के पश्चात, मामले को रणवीर दण्ड संहिता की धारा 302, 341 तथा 364 सपठित टाडा एक्ट की धारा 3 एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत 21-04-1990 को आरसी 5 (एस)/90-एसआईयू.वी. के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया था।

2.3 अन्वेषण से खुलासा हुआ था कि हिलाल वेग जम्मू एवं कश्मीर छात्र मुक्ति मोर्चा (जेकेएसएलएफ) कहे जाने वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन का तथाकथित मुख्य कमांडर था। इसने अभियुक्तगण जावेद शाला, ताहिर अहमद मीर, मुस्ताक अहमद शेख, मुस्ताक अहमद खाॅन, मुहम्मद हुसैन खाॅन तथा मुहम्मद सलीम जारगर सहित जेकेएसएलएफ के अन्य सदस्यों के साथ 31-03-1990 तथा 6-4-1990 के बीच कश्मीर विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति डा0 मुशीर-उल-हक तथा अन्य का व्यपहरण करने के लिए तथा जनसामान्य के मन में आतंक पैदा कने के लिए, तद्द्वारा सरकार को अपने साथियों अर्थात निस्सार अहमद जोगी, गुलाम नवी भट्ट तथा फय्याज अहमद बनी को छुड़वाने के लिए सरकार को मजबूर के लिए षड्यंत्र किया था। षड्यंत्र में बंधकों का मृत्युदण्ड शामिल था यदि इनके मांगों को पूरा नही किया जाता है।

2.4 06-04-1990 को, लगभग 09.00 बजे पूर्वाह्न, अभियुक्तगण आफताब के घर पर एक साथ एकत्रित हुए थे। ये लोग लाल मारुति वैन पंजीकरण सं0 जेकेडी-9394 में आफताब के घर से गये थे तथा कश्मीर विश्वविद्यालय की तरफ अग्रसर हुए थे। ये लोग पूर्णतया सशस्त्र थे। लगभग 01-20 बजे अपराह्न अभियुक्तगण

उपकुलाधिपति की कार को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर सदरवल गेट की तरफ आते देखा था। वाहन को रूकना पड़ा था क्योंकि गेट खोला जा रहा था। जैसे ही यह गेट के बाहर आया, कुछ अभियुक्तगण बलपूर्वक अपने हथियारों को भाजते हुए उपकुलाधिपति के कार के अन्दर आए थे। इन लोगों ने चालक, उपकुलाधिपति, इसके निजी सचिव तथा जमादार मलूक खाॅन को पराजित किया था। उपकुलाधिपति का वाहन सदरवल की ओर ले जाया जा रहा था इसके पीछे लाल मारुति वैन में अभियुक्त जावेद शाला तथा मुस्ताक शेख थे।

2.5 कुछ दूर जाने के पश्चात, उक्त वाहन को रोका गया था जिसके बाद अभियुक्तगण ने उपकुलाधिपति तथा इसके निजी सचिव को कार से बाहर आने के लिए मजबूर किया था। उपकुलाधिपति तथा इसके निजी सचिव को तत्पश्चात लाल मारुति वैन में ले जाया गया था। तत्पश्चात दोनों व्यपहृत व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया था तथा अंततोगत्वा नाटीपुरा में मोहम्मद सादिक राठेर के निवास स्थान पर ले जाया गया था। वहाँ से दोनों व्यपहृत व्यक्तियों को अभियुक्त शाबिर के घर में ले जाया गया था जहाँ इन्हें परिरुद्ध रखा गया था।

2.6 अभियुक्त हिलाल वेग ने डा0 मुशीर-उल-हक, उपकुलाधिपति तथा इनके निजी सचिव अब्दुल गनी जरगर के अपहरण का दावा किया था। इस संबंध में, अभियुक्त हिलाल वेग ने प्रेस वार्ता जारी किया था।

2.7 चूँकि सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया था, अभियुक्त हिलाल वेग तथा इसके साथियों ने बंधकों के भाग्य का फैसला करने के लिए 09-04-1990 को 03.00 बजे अपराह्न बैठक बुलाई थी।

2.8 10-04-1990 को, दोनों बंधकों को खेत में ले जाया गया था। अभियुक्त सलीम जरगर ने इन व्यक्तियों पर अनेक गोली की क्षतियाँ कारित करते हुए एके-47 से गोली चलाई थी जिसके परिणामस्वरूप में दोनों तत्काल मर गये थे। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर आई थी तथा एके-47 राइफल के 9 खाली कारतूसों को बरामद किया था लेकिन एके-47 को बरामद नही किया जा सका था। अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात (के0अ0व्यू0 को इसे अन्तरित करने के पश्चात), रणवीर दण्ड संहिता की धारा 120ख सपठित धारा 365 के अधीन अपराध करने के लिए बतौर अभियुक्त हिलाल वेग, जावेद अहमद शाला, मुस्ताक अहमद शेख, मोहम्मद सलीम जरगर, मोहम्मद हुसैन खाॅन, आफताब लच खाॅन, मुस्ताक अहमद खाॅन, शवीर बट्ट, हिलाल शेख, मुहम्मद अशरफ बट्ट तथा गुलाम कादिर मीर को आलिप्त करते हुए आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। आफताब लच खाॅन के सिवाय, उपरोक्त सभी टाडा एक्ट की धारा 3(1) तथा 3(3) के अधीन दण्डनीय अपराध करने के अभियुक्त थे। अभियुक्त आफताब लच खाॅन टाडा एक्ट की धारा 3(3) के अधीन अपराध करने के लिए आरोपित था। इसके अतिरिक्त, हिलाल वेग, जावेद अहमद शाला, मुस्ताक अहमद शेख, मोहम्मद सलीम जरगर, मुस्ताक अहमद खाॅन तथा ताहिर मीर टाडा एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत आरोपित थे। अभियुक्त मोहम्मद सलीम जरगर को आगे धारा 302 रणवीर दण्ड संहिता के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने हेतु आरोपित किया गया था जबकि अभियुक्त हिलाल बेग को रणवीर दण्ड संहिता की धारा 32 सपठित धारा 34 के अधीन आरोपित किया गया था।

3. आदेश दिनांक 22-4-2000 द्वारा अभियुक्तगण अब्दुल अजीज डार, गुलाम कादिर मीर, शाबिर अहमद भट्ट, मोहम्मद सादिक राठेर, मुस्ताक अहमद खाॅन तथा मोहम्मद सलीम जरगर (वर्तमान अपील में प्रत्यर्थीगण) को रणवीर दण्ड संहिता की धारा 118/302/368/365 सपठित टाडा एक्ट की धारा 3/4 के अन्तर्गत अपराध करने हेतंु आरोपित किया गया था।

3.1 अभियुक्तगण ने अपने अपराध का खण्डन किया था तथा विचारण किये जाने का दावा किया था। अभियुक्त व्यक्तियों में एक ताहिर अहमद मीर को उपर्युक्त दिन को उन्मोचित किया गया था लेकिन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ आरंभ की गई थी। विचारण के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त हिलाल वेग मर गया था।

3.2 अपना मामला साबित करने के लिए, अभियोजन ने कई साक्षीगण को परीक्षित किया था। अभिलेख पर साक्ष्य तथा अन्य सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात, विशेष न्यायालय ने निर्णय तथा आदेश दिनांक 20-04-2009 द्वारा यह धारित करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया था कि अभियोजन अभियुक्तगण के अपराध को किसी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नही कर सका है। विशेष न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-2 अभियोजन साक्षी-3 तथा अभियोजन साक्षी-6 के चक्षुष साक्ष्य तथा अभियुक्तगण के संस्वीकृतिक कथनों को त्यक्त किया था जिसे साक्ष्य में अग्राह्य अभिनिर्धारित किया गया था।

4. तद्द्वारा व्यथित, अपीलकर्ता (राज्य) टाडा एक्ट की धारा 19 के अन्तर्गत दाण्डिक अपील दाण्डिक अपील सं0 1681/2009 दाखिल करते हुए इस न्यायालय में आया है। दाण्डिक अपील सं0 168/2009 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28-08-2009 द्वारा ग्रहण किया गया था।

5. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती सोनिया माथुर तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता कामिनी जायसवाल को सुना।

6. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विशेष न्यायालय ने राज्य द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम मोहम्मद सलीम जरगर के मामले मेंें पूर्वनिर्णय दिनांक 21-12-2002 पर भरोसा किया था जिसमें मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन को अग्राह्य अभिनिर्धारित किया गया था। वर्तमान कार्यवाहियों में, मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन के अलावा, दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात, मुस्ताक अहमद खान तथा मोहम्मद सादिक राठेर का संस्वीकृतिक कथन था। फिर भी, दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को निम्न कारणों पर नामंजूर किया गया था:

i) प्रश्नोत्तरी के रूप में किसी कथन को अभिलेखन अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलिखित नही किया गया था कि इसका समाधान ठोस सामग्री पर आधारित है;

ii) यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिलेखन अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख को अनुरक्षित नही रखा गया था यदि संस्वीकृतिक कथन स्वैच्छिक था;

iii) यह ज्ञात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था यदि संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के लिए कोई अन्य पुलिस अधीक्षक उपलब्ध था।

iv) पूर्वोक्त दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलेखन अधिकारी से अनुरोध करते हुए कोई पत्र नही लिखा गया था।

v) यह उल्लिखित नही है कि अभिलेखन अधिकारी ने अभियुक्त व्यक्तियों को समय दिया था तथा किस समय पर अभियुक्त व्यक्तियों को इसके समक्ष पेश किया गया था:

vi) अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतियों को उसी दिन अभिलिखित किया गया था जब इन्हें पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया था;

6.1 अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्वोक्त कमी हेतु विशेष न्यायालय ने मुस्ताक अहमद खाॅन तथा मोहम्मद सादिक राठेर के संस्वीकृतिक कथनों को स्वीकार नही किया था।

6.2 टाडा एक्ट की धारा 15 को निर्दिष्ट करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यदि संस्वीकृतिक कथन को स्वैच्छिक, सत्य के रूप में साबित किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त से संबंधित होता है, यह पर्याप्त साक्ष्यिक महत्व रखता है। इस प्रकार के मामले में, आगे संपुष्टि आवश्यक नही होता है। अभियुक्त के दोषसिद्धि को एकमात्र इस प्रकार के संस्वीकृति पर आधारित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों की संस्वीकृतियाँ स्वैच्छिक, सत्य थी तथा एक दूसरी की पुष्टि किया था। अभिलेखन अधिकारी श्री एके सूरी, अ0सा0-12 ने टाडा एक्ट की धारा 15 तथा टाडा नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत आदेशित प्रक्रिया का अनुसरण किया था। इसलिए, विशेष न्यायालय पूर्वोक्त दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को नामंजूर करने में न्यायानुमत नही था।

6.3 मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन को नामंजूर करने को ध्यान दिलाते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विषय विवंध के सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू नही किया जा सकता है। सलीम जरगर को निर्णय तथा आदेश दिनांक 21-12-2002 द्वारा विभिन्न कार्यवाही में दोषमुक्त किया गया था। सलीम जरगर के सिवाय, दोनों मामलो में पक्षकारगण भिन्न है। वर्तमान विचारण पूर्णतया भिन्न घटना अर्थात 06-04-1990 को विश्वविद्यालय के सदरवल गेट से कश्मीर विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति डा0 मुशीर-उल-हक तथा इसके निजी सचिव, अब्दुल गनी जरगर के व्यपहरण से उद्भूत हुआ था। इसलिए, विशेष न्यायालय ने विषय विवंध के सिद्धांत पर

भरोसा करते हुए सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन को नामंजूर करने में त्रुटि किया था।

6.4 किसी भी अवस्था में, सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन के अतिरिक्त, दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात मुस्ताक अहमद खाॅन तथा मोहम्मद सादिक राठेर की संस्वीकृतियाँ थी जिसे क्रमशः 14-08-1990 तथा 25-08-1990 को पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त विचारण के दृष्टिगत, पूर्वोक्त दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की संस्वीकृतियाँ जिसे स्वेच्छया किया गया था तथा एक दूसरे की संपुष्टि किया था पर निर्भर रहना चाहिए था।

6.5 यह आगे निवेदन किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतियों को वर्ष 1990 में अभिलिखित किया गया था जब टाडा एक्ट की धारा 15 के अधीन कथनों को अभिलिखित करने के लिए विहित दिशानिर्देश नही था। कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569 के मामले में निर्णय काफी बाद में आया था। इसलिए, कर्तार सिंह (ऊपर) में विहित प्रक्रिया का अनुसरण वर्तमान मामले में नही किया जा सकता था।

6.6 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि टाडा एक्ट की धारा 15 संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने हेतु मौलिक विधिक ढ़ाँचा का उपबंध करता है जबकि टाडा नियमावली का नियम 15 इस प्रकार के संस्वीकृतिक कथनों के वैधता को मान्य ठहराने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अधिकथित करता है। टाडा एक्ट की धारा 15(2) को टाडा नियमावली के नियम 15 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से, नियम 15 का उप-नियम 3(ख) संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले पुलिस अधिकारी को संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन संलग्न का आदेश देता है। वर्तमान मामले में, श्री एके सूरी, अ0सा0-12 ने संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के पहले यह सुनिश्चित किया था कि अभियुक्तगण उसी प्रकार स्वेच्छया कर रहे थे तथा इन्हें इस प्रकार के संस्वीकृति के विधिक परिणामों के बारे में सम्यक् चेतावनी दिया गया था। अभियुक्तगण ने कथनों के प्रत्येक पन्ने पर हस्ताक्षर किया था तथा अभिलेखन अधिकारी ने संस्वीकृतियों के स्वैच्छिक प्रकृति की पुष्टि करने वाले आज्ञापक ज्ञापन को संलग्न किया था। सम्यक हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद प्रमाणपत्रों को सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। अतः टाडा नियमावली के नियम 15(3) के अनुर्वतन में प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना संस्वीकृतियों के स्वैच्छिकता के संबंध में अधिकारी के समाधान को परिलक्षित करता है।

6.7 इसके अलावा, यह आगे निवेदन किया गया है कि मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन को इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द0प्र0स0) की धारा 164 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया था जिसे विचारण के दौरान सम्यक् प्रदर्शित किया गया था।

6.8 इस प्रकार, मोहम्मद सलीम जरगर, मुस्ताक अहमद खाॅन तथा मोहम्मद सादिक राठेर के संस्वीकृतिक कथनों को कानून द्वारा आदेशाधीन विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अभिलिखित किया गया था। इसलिए, विशेष न्यायालय ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को त्यक्त करने में पूर्णतया न्यायानुमत नही था। इस प्रकार के संस्वीकृतिक कथनों के आधार पर, अभियुक्त व्यक्तियों का अपराध निश्चायक रूप से

साबित हुआ था। इन परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विशेष न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुए अपील को अनुज्ञात किया जा सकता है।

6.9 अपने निवेदनों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्न निर्णयों पर भरोसा रखा है:

i) **कर्तार सिंह;**

ii) **शराफत हुसैन अब्दुल रहमान शेख बनाम गुजरात राज्य, (1996) 11 एससीसी 62**

iii) **एसएन दूबे बनाम एनबी भोइर: (2000) 2 एससीसी 254**

iv) **अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैयद बनाम गुजरात राज्य, (2009) 7 एससीसी 254**

v) **याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 13एससीसी 1**

vi) **राजा बनाम तमिलनाडु राज्य: (2020) 5 एससीसी 118**

7. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विशेष न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया था क्योंकि मात्र अनुयोज्य साक्ष्य तीनों अभियुक्त व्यक्तियों का अभिकथित संस्वीकृतिक कथन था। जहाँ तक सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन का संबंध है, जिसे पहले ही पृथक टाडा कार्यवाही में विशेष न्यायालय के निर्णय तथा आदेश दिनांक 21-12-2002 द्वारा नामंजूर किया गया था। उक्त दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपील अधिमानित नही किया गया था जिसे मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक के नामंजूर किये जाने के पश्चात पारित किया गया था। इस प्रकार उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गया था। वर्तमान कार्यवाही में, अभियोजन ने उपर्युक्त संस्वीकृतिक कथन पर भरोसा किया था जिसे ठीक ही विशेष न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था।

7.1 विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में विचारण को पूरा होने में 19 वर्ष से अधिक समय लगा था क्योंकि अभियोजन न्यायालय के समक्ष साक्षीगण को पेश करने में काफी सुस्त था जबकि अभियुक्तगण विचाराधीन कैदी के रूप में अभिरक्षा में थे। अभिकथित संस्वीकृतिक कथनों को श्री एके सूरी, अभियोजन साक्षी-12 द्वारा अभिलिखित किया गया था, जो सुसंगत समय पर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर था तथा वर्तमान मामले के अन्वेषण का पर्यवेक्षण भी कर रहा था। अभियोजन कोई प्राधिकार पेश नहीं कर सका था जिसके द्वारा अभियोजन साक्षी-12 संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के लिए अधिकृत था। सम्यक् विचार के पश्चात, विशेष न्यायालय ने सभी तीनों अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को त्यक्त किया था। जबकि मोहम्मद सलीम जरगर के संस्वीकृतिक कथन को नामंजूर किया गया था क्योंकि उपर्युक्त संस्वीकृतिक कथन पर भरोसा अभियोजन द्वारा एक दूसरे विचारण में किया गया था जहाँ इसे नामंजूर किया गया है, जहाँ तक मुस्ताक अहमद तथा मोहम्मद सादिक के संस्वीकृतिक कथनों का संबंध है, विशेष न्यायालय ने इस प्रकार के संस्वीकृतियों के स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया था।

7.2 आगे सविस्तार प्रतिपादित करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी-12 साक्ष्य नही दिया था कि कैसे अभियुक्तगण इसके समक्ष स्वयं से उपस्थित हुए थे। वह स्वयं के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के पेश किये जाने के बारे में तथा अन्वेषक अधिकारी द्वारा स्वयं से किये गये इस प्रकार के संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित किये जाने से संबंधित किसी अनुरोध के संबंध में भी चुप था। अन्वेषक अधिकारी ने अभिसाक्ष्य दिया था कि इसने कभी भी अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार नही किया था तथा न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को भी पेश नहीं किया था। इसने कहा था कि इसने पुलिस अधीक्षक, के0अ0ब्यू0 (श्री एके सूरी) से अभियुक्त व्यक्तियों के कथन को अभिलिखित करने के लिए आने को नही कहा था। यह प्रदर्शित करने के लिए कोई अभिलेख नही है कि किसके अभिरक्षा से अभियुक्त व्यक्तियों को श्री सूरी के समक्ष पेश किया गया था जब अभिकथित संस्वीकृतियों को अभिलिखित किया गया था या क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने लिखित या मौखिक अपने संस्वीकृतियों को अभिलिखित करवाने की कोई इच्छा किया था। श्री एके सूरी के परिसाक्ष्य से यह भी प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों से इनके संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने के पहले कोई प्रश्न नही पूंछा गया था तथा उत्तर नही मांगा गया था। यह प्रदर्शित करने के लिए समसामयिक कोई अभिलेख नही है कि कथनों को अभिलिखित किये जाने के पहले श्री एके सूरी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों से प्रश्नों को पूंछा गया था। कोई समाधान अभिलिखित नही किया गया था कि संस्वीकृतिक कथनों को स्वेच्छया किया गया था तथा सत्य था। सर्वसम्मति से, संस्वीकृतिक कथनों को ऐसे स्थानों पर बाध्यकारी परिस्थितियों में अभिलिखित किया गया था जो किलाबंद था तथा भारी पहरा बैठाया गया था, जैसे, बीएसएफ कैम्प तथा संयुक्त पूछतांछ केन्द्र।

7.3 प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियोजन का मामला यह नही है कि संसुगत समय पर कोई अन्य पुलिस अधीक्षक उपलब्ध नही था तथा मात्र श्री एके सूरी उपलब्ध था जो संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करना इसके लिए अनिवार्य बना दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने बल पूर्वक कहा है कि श्री सूरी एक से अधिक कारण पर स्वयं द्वारा संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने का उत्सुक तथा अत्युत्साही था। यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि किसके अभिरक्षा से तथा किसके कहने पर बीएसएफ कैम्प में तथा संयुक्त पूंछतांछ केन्द्रों पर संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के लिए श्री सूरी के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों को पेश किया गया था। अभियोजन मामले का समर्थन कने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य नही था तथा इसलिए, एक मात्र तरीका अभियोजन अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने में सफल हो सका संस्वीकृतियों को इन लोगों द्वारा अभिलिखित करवाने हेतु कठोर विधि का आश्रय लेना था।

7.4 प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध टाडा एक्ट के अन्तर्गत कोई अपराध नही बना था या साबित किया गया था। यह स्पष्ट है कि टाडा का मामला बनाने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों से कठोर पूंछतांछ, बर्ताव किया गया था तथा विधि विरुद्ध कैद किया गया था लेकिन किसी साक्ष्य के बिना। विशेष न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त किया था। दोषमुक्ति के आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नही है। दोषमुक्ति के आदेश को उलटने के लिए कोई मामला नही बनता है।

7.5 विद्वान अधिवक्ता ने कर्तार सिंह (ऊपर), एसएन दूबे (ऊपर) में तथा राजा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है जो स्पष्ट रूप से इस प्रतिपादना को अधिकथित करता है कि टाडा एक्ट की धारा 15 तथा टाडा नियमावली के नियम 15 के अधीन संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने हेतु इस न्यायालय द्वारा विहित दिशानिर्देश प्रकृति में आज्ञापक है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए यदि इस प्रकार के संस्वीकृतियों पर भरोसा किया जाता है। यदि दिशानिर्देश या शर्तो का अनुपालन नही किया जाता है, अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने के लिए इस प्रकार के संस्वीकृतिक कथनों पर भरोसा नही किया जा सकता है।

7.6 इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपील में कोई गुणावगुण नही है इसलिए जिसे खारिज किया जाना चाहिए।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किये गये निवेदनों पर न्यायालय ने सम्यक् विचार किया है।

9. अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी- साक्षीगण के रूप में अभियोजन साक्षी-2, गुलाम मोहिनुद्दीन खान, अभियोजन साक्षी-3, मोलू खाॅन तथा अभियोजन साक्षी-6, गुलाब नबी डार, ड्राइवर को पेश किया था। अभियोजन साक्षी-2 तथा अभियोजन साक्षी-3 ने अपने साक्ष्य में व्यपहरणकर्ताओं को मूंछ वाले युवाओं के रूप में बताया था लेकिन इन लोेगों की शिनाख्त नही कर सका था। अभियोजन साक्षी-6 ने विस्तार पूर्वक बनाया था कि कैसे सशस्त्र व्यक्तियों ने वाहन को हाइजैक किया था तथा वाद में व्यपहृत व्यक्तियों को एक दूसरे कार में भेजा था लेकिन वह व्यक्तियों की पहचान नही कर सका था। इसलिए, पूर्वोक्त साक्षीगण का साक्ष्य अभियोजन के लिए अधिक साहाय्य नही था।

10. यद्यपि चिकित्सा तथा न्यायसंबंधी साक्ष्य से पुष्टि होता है कि दोनों मृतकों की हत्या एके-47 राइफल से दागे गये गोलियों द्वारा की गई थी, अपराध में प्रयुक्त हथियार (एके-47 राइफल) को बरामद नही किया जा सका था। वास्तव में, अभियोजन साक्षी-11 श्री रूप सिंह, केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली से एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने साक्ष्य दिया था कि न्याय संबंधी परीक्षा हेतु इसे भेजा गया तथा बरामद कारतूस 7.62 एमएम एके-47 राइफल से था। फिर भी, प्रति-परीक्षा के दौरान इसने स्वीकार किया था कि इसने एक-47 राइफल को नही देखा था जिससे कारतूसों को दागा गया था।

11. यह स्पष्ट है कि अपराध के हथियार के बरामदगी न किये जाने के साथ अभियोजन साक्षीगण का पूर्वोक्त परिसाक्ष्य गंभीर रूप से अभियोजन मामले को क्षतिग्रस्त करता है।

इसलिए अभियोजन ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए पूर्णतया मोहम्मद सलीम जरगर, मुस्ताक अहमद खान तथा मोहम्मद सादिक राठेर के संस्वीकृतिक कथनों पर भरोसा किया था।

12. हमारे द्वारा पूर्वोक्त संस्वीकृतिक कथनों के ग्राह्यता या अन्यथा पर विचार करने के पहले, संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने से संबंधित टाडा एक्ट तथा टाडा नियमावली के अन्तर्गत सुसंगत विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करना उपयुक्त होगा।

13. टाडा एक्ट आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण हेतु तथा सामना करने हेतु एवं इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों हेतु विशेष प्रावधानों को बनाने के लिए अधिनियमित विशेष प्रावधान था। धारा 15 ध्यान में रखे जाने वाले पुलिस अधिकारियों को किये गये कतिपय संस्वीकृतियों का उपबंध करता है। धारा 15 निम्नवत् है:

> *15. पुलिस अधिकारियों को किये गये कतिपय संस्वीकृतियों को ध्यान में रखा जाना -*
>
> *(1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन, पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकरी के समक्ष व्यक्ति द्वारा की गई तथा लिखित या कैसेट, टेप या ध्वनि पट्टी जिससे ध्वनि या चित्र को प्रत्युत्पादित किया जा सकता है जैसे किसी यांत्रिक उपकरण पर इस प्रकार के पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावली के अन्तर्गत अपराध हेतु इस प्रकार के व्यक्ति या सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता के विचारण में ग्राह्य होगा:*
>
> *परन्तु सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोपित तथा विचारित हो।*
>
> *(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पहले पुलिस अधिकारी इसे करने वाले व्यक्ति को बतायेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है तथा यह कि, यदि वह ऐसा करता है, इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है तथा इस प्रकार का पुलिस अधिकारी इस प्रकार के किसी संस्वीकृति को तब तक अभिलिखित नही करेगा जब तक, इसे करने वाले व्यक्ति से पूछने पर, इसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इसे स्वेच्छया किया जा रहा है।*

13.1 उपधारा (1) सर्वोपरि खण्ड से आरंभ होता है। यह कहता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एतस्मिन् पश्चात 'साक्ष्य अधिनियम') में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन टाडा एक्ट की धारा 15 के प्रावधानों के अधीन, पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति टाडा एक्ट के अन्तर्गत या टाडा नियमावली के अन्तर्गत अपराध हेतु इस प्रकार के व्यक्ति के विचारण में या सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता के विचारण में ग्राह्य होगा। अभिलेखन

इस प्रकार के पुलिस अधिकारी द्वारा या कैसेट, टेप इत्यादि जैसे किसी यांत्रिक उपकरण पर हो सकता है। उप-धारा (1) का परन्तुक कहता है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत किया गया संस्वीकृतिक कथन सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता के संबंध में ग्राहय होगा यदि इन्हें अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोपित तथा विचारित किया जाता है। धारा 15 की उप-धारा (2) यह आदेश देता है कि उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पहले, पुलिस अधिकारी इसे करने वाले व्यक्ति को बतायेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है लेकिन यदि वह ऐसा करता है, इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार का पुलिस अधिकारी इस प्रकार के किसी संस्वीकृति को तब तक अभिलिखित नही करेगा जब तक इसे करने वाले व्यक्ति से पूछने पर इसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इसे स्वेच्छया किया जा रहा है।

13.2 इस प्रकार टाडा एक्ट की धारा 15 का संक्षेप एवं सार यह है कि पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा स्वेच्छया किया गया संस्वीकृतिक कथन टाडा एक्ट के अन्तर्गत अपराध हेतु इस प्रकार के व्यक्ति के विचारण में ग्राह्य होगा।

14. टाडा नियमावली का नियम 15 पुलिस अधिकारियों से किये गये संस्वीकृति को अभिलिखित करने के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित करता है। नियम 15 इस प्रकार पठित है:

15. संस्वीकृति का अभिलेखन पुलिस अधिकारियों के समक्ष किया जाना- (1) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष व्यक्ति द्वारा की गई तथा इस प्रकार के पुलिस द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति को हमेशा उस भाषा में अभिलिखित किया जायेगा जिसमें इस प्रकार की संस्वीकृति की गई है तथा यदि यह व्यवहार्य न हो, सरकारी प्रयोजन हेतु इस प्रकार के पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त भाषा में या नामनिर्दिष्ट न्यायालय के भाषा में तथा यह अभिलेख का भाग होगा।

(2) इस प्रकार अभिलिखित संस्वीकृति को संबंधित व्यक्ति को दिखाया, पढ़ा या प्रतिश्रवण किया जायेगा तथा यदि वह उस भाषा को नही समझता है जिसमें इसे अभिलिखित किया गया है, इसका निर्वचन उसे उस भाषा में किया जायेगा जिसे वह समझता है तथा वह अपने संस्वीकृति को स्पष्ट करने या कुछ शामिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(3) संस्वीकृति, यदि लिखित है -

(क) उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो संस्वीकृति करता है, तथा

(ख) उस पुलिस अधिकारी द्वारा होगा जो अपने स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार के संस्वीकृति को इसके उपस्थिति में लिया गया था तथा इसके द्वारा अभिलिखित किया गया था तथा यह कि अभिलेख में व्यक्ति द्वारा किये गये संस्वीकृति का पूरा तथा सत्य विवरण अन्तर्विष्ट है तथा

इस प्रकार का पुलिस अधिकारी निम्न आशय का संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन करेगा:

'हमने बताया है (नाम) कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है तथा यह कि, यदि वह ऐसा करता है, कोई संस्वीकृति वह कर सकता है इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा मेरा विश्वास है कि इस संस्वीकृति को स्वेच्छया किया गया था। इसे मेरे उपस्थिति में लिया गया था तथा सुना गया था एवं मेरे द्वारा अभिलिखित किया गया था तथा इसे करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया था तथा इसके द्वारा सही होना स्वीकार किया गया था तथा इसमें इसके द्वारा किये गये कथन का पूरा एवं सत्य विवरण अन्तर्विष्ट है।

हस्ताक्षर

पुलिस अधिकारी

(4) जहाँ संस्वीकृति को किसी यांत्रिक उपकरण पर रेकार्ड किया जाता है, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट ज्ञापन जहाँ तक यह लागू होता है तथा संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा कि यांत्रिक उपकरण पर ध्वन्यंकित उक्त संस्वीकृति को इसके उपस्थिति में सही तरीके से ध्वन्यंकित किया गया है को भी संस्वीकृति के अंत में यांत्रिक उपकरण में ध्वन्यंकित किया जायेगा।

(5) उक्त धारा 15 के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति को तत्काल क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजा जायेगा जिसमें इस प्रकार के संस्वीकृति को अभिलिखित किया गया है तथा इस प्रकार का मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त अभिलिखित संस्वीकृति को नाम निर्दिष्ट न्यायालय को भेजेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकता है।

14.1 जबकि उप-नियम (1) आदेश देता है कि टाडा एक्ट की घारा 15 के अन्तर्गत संस्वीकृति को उस भाषा में अभिलिखित किया जाना चाहिए जिसमें संस्वीकृति किया गया है, लेकिन यदि यह व्यवहारिक नही है, तब इसे सरकारी प्रयोजन हेतु इस प्रकार के पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त भाषा में या नामनिर्दिष्ट न्यायालय की भाषा में अभिलिखित किया जाना चाहिए। किसी भी दशा में, संस्वीकृतिक कथन अभिलेख का हिस्सा होगा।

14.2 उप-नियम (2) के अनुसार, इस प्रकार अभिलिखित संस्वीकृति को संबंधित व्यक्ति को दिखाया जायेगा, पढ़कर सुनाया जायेगा या प्रतिश्रवित किया जायेगा। यदि वह उस भाषा को नही समझता है जिसमें यह अभिलिखित किया गया है, इसे उस भाषा में समझाया जायेगा जिसे वह समझता है। इस प्रक्रम पर संस्वीकृति करने वाला व्यक्ति अपने संस्वीकृति को स्पष्ट करने या जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

14.3 उप-नियम (3) की शर्त यह है कि संस्वीकृति यदि यह लिखित है उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा जो पुलिस अधिकारी द्वारा संस्वीकृति करता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारी अपने स्वयं के हस्ताक्षर के अन्तर्गत प्रमाणित करेगा कि इस प्रकार की संस्वीकृति इसके उपस्थिति में ली गई थी तथा इसके

द्वारा अभिलिखित किया गया था। वह इस बात को भी प्रमाणित करेगा कि अभिलेख में व्यक्ति द्वारा किये गये संस्वीकृति का पूरा तथा सत्य विवरण अन्तर्विष्ट है। संस्वीकृति के अंत में, पुलिस अधिकारी द्वारा ज्ञापन करना आवश्यक होता है, जिसका सार यह है कि पुलिस अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को बताया था कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है लेकिन यदि वह ऐसा करता है, इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ज्ञापन में पुलिस अधिकारी का प्रमाणपत्र अन्तर्विष्ट होना चाहिए कि वह विश्वास करता है कि संस्वीकृति इसके उपस्थिति में स्वेच्छया किया गया था तथा इसके द्वारा अभिलिखित किया गया था; यह कि इसे उस संबंधित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया था जिसने इसे सही स्वीकार किया था जिसमें इसके द्वारा किये गये कथन का पूरा तथा सत्य विवरण अन्तर्विष्ट है।

14.4. उप-नियम (4) उस स्थिति पर विचार करता है जहाँ संस्वीकृति को किसी यांत्रिक उपकरण पर धन्यांकित किया जाता है। चूँकि वर्तमान मामले में, संस्वीकृतिक कथनों को किसी यांत्रिक उपकरण पर ध्वन्यांकित नहीं किया गया था, इस प्रावधान की अधिक सुसंगतता नही हो सकती है।

14.5 उप-नियम (5) आदेश देता है कि टाडा एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति को तत्काल अधिकारिताप्राप्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो, को भेजा जायेगा, जो इस प्रकार प्राप्त अभिलिखित संस्वीकृति को नाम निर्दिष्ट न्यायालय (विशेष न्यायालय) को भेजेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकता है।

14.6 इस प्रकार, नियम 15 धारा 15 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को किये गये संस्वीकृति को अभिलिखित करने के संबंध में प्रक्रियात्मक पहलू से संबंधित है।

15. जैसा ऊपर उल्लिखित है, टाडा एक्ट आतंकवाद के खतरों तथा संबंधित विध्वंसकारी क्रियाकलापों से निपटने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसमें धारा 15 के रूप में विशेष प्रावधान अन्तर्विष्ट था जो पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित संस्वीकृतिक कथन को संस्वीकृतिक कथन करने वाले व्यक्ति के विचारण या सह-अभियुक्त - दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता के विचारण में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने की अनुमति देता है यदि इन लोगों पर विचारण एक साथ एक ही मामले में किया जाता है जैसा व्यक्ति कथन करता है।

16. सदी के दौरान विकसित दाण्डिक विधि शास्त्र में, पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृतियाँ साक्ष्य में अग्राह्य होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी से किये गये संस्वीकृति को इसके विरुद्ध साबित नही किया जायेगा। संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने की शक्ति न्यायिक मजिस्टेªट को दी गई है। धारा 164 द0प्र0सं0 के अधीन इस प्रकार के न्यायिक संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने के लिए कड़ा तथा कठोर दिशानिर्देश अधिकथित किया गया है। इस प्रकार का रक्षापोय इस सुस्थापित सिद्वांत पर आधारित है कि संस्वीकृति अपराध की स्वीकृति है। सामान्यतया, कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार

नहीं करना चाहेगा क्योंकि वह भलीभांति जानता है कि इसका उपयोग इसके विरुद्‌ध किया जायेगा। इसके अलावा, अभियुक्त के पास शंसापत्र बाध्यता के विरुद्‌ध संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार है। इसलिए टाडा एक्ट की धारा 15 पूर्णतया साक्ष्य के मौलिक नियमावली को बदल देता है।

17. टाडा एक्ट के शक्तिमत्ता को चुनौती कर्तार सिंह (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिया गया था। इस न्यायालय के संविधान पीठ ने टाटा एक्ट की धारा 15 के वैधता तथा अधिनियम के सम्पूर्णता की पुष्टि करते हुए, फिर भी, कतिपय दिशानिर्देशों को अधिकथित किया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्‌वारा अभ्यारोपण-पूर्व में प्राप्त संस्वीकृति किसी दोष द्‌वारा दूषित नही है बल्कि सुमान्य तथा स्वीकृत सुरुचिपूर्ण सिद्‌धांतों तथा मौलिक निष्पक्षता के कठोर अनुपालन में है। यह दिशानिर्देश निम्नवत्‌ है:-

> *263. फिर भी, हम निम्न दिशानिर्देशों को अधिकथित करना चाहेगें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्‌वारा अभ्यारोपण-पूर्व पूछतांछ में प्राप्त संस्वीकृति किसी दोष से संदूषित नही है बल्कि सुमान्य तथा स्वीकृत सुरुचिपूर्ण सिद्‌धांतों तथा मौलिक निष्पक्षता का कड़ाई से पुष्टि करता है:*
>
> *(1) संस्वीकृति को उसी भाषा में एक स्वतंत्र वातावरण में अभिलिखित किया जाना चाहिए जिसमे व्यक्ति को परीक्षित किया गया है तथा जैसा इसके द्‌वारा बताया गया है:*
>
> *(2) व्यक्ति जिससे अधिनियम की धारा 15(1) के अन्तर्गत संस्वीकृति को अभिलिखित किया गया है, मुख्य महानगर मजिस्टेªट या मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए जिसे अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना यांत्रिक उपकरण पर ध्वन्यंकित या लिखित संस्वीकृति के मूल कथन के साथ नियम 15(5) के अधीन संस्वीकृति भेजा जाना आवश्यक होता है।*
>
> *(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस प्रकार पेश अभियुक्त द्‌वारा किये गये कथन, यदि कोई है, को ईमानदारीपूर्वक अभिलिखित करना चाहिए तथा इसका हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए एवं यातना के किसी शिकायत की दशा में, व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन के पंक्ति से अनिम्न चिकित्साधिकारी के समक्ष चिकित्सा परीक्षा हेतु पेश किये जाने का निदेश दिया जाना चाहिए;*
>
> *(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगरों में सहायक पुलिस आयुक्त के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी तथा अन्यत्र पुलिस उपधीक्षक या समकक्ष पंक्ति के पुलिस अधिकारी से अनिम्न पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम 1987 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण नही करना चाहिए।*
>
> *यह इस अधिनियम के कठोर प्रावधान के दृष्टिगत आवश्यक है। इसके अलावा जब धारा 17 के अधीन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा धारा 13 के*

अन्तर्गत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 उन विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधों का अन्वेषण करने के लिए केवल विनिदिष्ट पंक्ति के पुलिस अधिकारी को अधिकृत करता है।

(5) पुलिस अधिकारी यदि वह न्यायिक अभिरक्षा से अभ्यारोपण-पूर्व या विचारण-पूर्व पूछतांछ हेतु किसी व्यक्ति की अभिरक्षा चाह रहा है, पुलिस अभिरक्षा की मांग करने में न केवल इस प्रकार के अभिरक्षा हेतु बल्कि विलम्ब हेतु यदि कोई है, कारण को स्पष्ट करते हुए स्वयं द्वारा शपथ लिया गया शपथपत्र दाखिल करना चाहिए;

(6) यदि, इस कानूनी चेतावनी के प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को पूछतांछ के लिए लाया जाता है कि वह संस्वीकृति को करने के लिए बाध्य नहीं है तथा यह कि यदि वह ऐसा करता है, उक्त कथन का उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, चुप रहने के अपने अधिकार पर बल देता है, पुलिस अधिकारी को प्रकटीकरण का कथन करने के लिए किसी बाध्यता को किये बिना प्रकथन के इसके अधिकार का सम्मान करना चाहिए;

केन्द्र सरकार इन दिशानिर्देशों को ध्यान मे रख सकता है तथा इन्हें अधिनियम तथा नियमावली में समुचित संशोधनों द्वारा सम्मिलित कर सकता है।

17.1 इस न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया था कि यद्यपि विधि का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए अपने न्यायिक विवेक में संस्वीकृति के ग्राह्यता या विश्वसनीयता के प्रश्न का विनिश्चय करना पूर्णतया अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय पर है, इसे स्वयं का समाधान करना चाहिए कि कोई जाल, कोई चरण चिह्न नही था तथा अभिरक्षा में पूछतांछ के चरण के दौरान साक्ष्य की मांग करते हुए कोई हठ नहीं था। न्यायालय को स्वयं का समाधान करना चाहिए कि सभी अपेक्षित शर्त पूरी होती है। इस न्यायालय ने आगे बल दिया था कि टाडा एक्ट के लागू होने के मुकाबले में ऊँचे स्तर के छानबीन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर दोनों पर जांच समिति या समीक्षा समिति होनी चाहिए।

18. एसएन दूबे (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय के दो जजों की पीठ ने प्रतिरक्षा के इस तर्क को नकार दिया था कि टाडा एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत संस्वीकृति को दो चरणों में अभिलिखित करना चाहिए अर्थात प्रारम्भिक भाग जिसमें कैसे तथा किस प्रयोजन हेतु व्यक्ति को भेजा गया था तथा यह बताये जाने के बाद भी संस्वीकृति करने के इसके स्वैच्छिक उत्सुकता का अभिनिश्चय करने के लिए प्रश्नोत्तरी इससे किया गया था कि संस्वीकृति का प्रयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के एक भाग के रूप में किया जा सकता है, के बारे में अभिलेख में अन्तर्विष्ट है तथा दूसरा भाग जिससे वास्तविक संस्वीकृतिक कथन अन्तर्विष्ट है। प्रतिरक्षा का तर्क यह था कि यह दूसरा भाग है जिसे वास्तविक संस्वीकृतिक कथन के रूप में माना जाना चाहिए न कि प्रारम्भिक भाग के रूप में। इसलिए, यह स्पष्ट करने तथा अभिनिश्चिय करने के बाध्यता का पालन वास्तविक संस्वीकृतिक कथन को अभिलिखित करते समय किया जाना चाहिए। पहले किया गया इस प्रकार का स्पष्टीकरण तथा अभिनिश्चय जब प्रारम्भिक भाग को अभिलिखित किया

गया था को नियम 15(2) के शर्त के समुचित अनुपालन के रूप में नही माना जा सकता है। वास्तविक संस्वीकृतिक भाग के आरम्भ होने के पहले पुलिस अधिकारी को कानूनी चेतावनी स्पष्ट करनी चाहिए तथा देनी चाहिए तथा यही वह समय है जब इसका अभिनिश्चय इसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूंछकर किया जाना चाहिए कि वह स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है।

8.1 प्रतिरक्षा के पूर्वोक्त तर्क को इस न्यायालय द्वारा निम्न तरीके से अस्वीकार किया गया था:

30. ....इसलिए, तर्क कि जब संस्वीकृति को दो भागों में अभिलिखित किया जाता है, केवल दूसरे भाग को संस्वीकृति के रूप में माना जा सकता है तथा दूसरे भाग को अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी को कानूनी चेतावनी देनी चाहिए तथा तत्पश्चात यह अभिनिश्चय करना चाहिए यदि संबंधित व्यक्ति इसे स्वेच्छया कर रहा है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विधि की शर्त यह है कि संस्वीकृति अभिलिखित करने के पहले पुलिस अधिकारी को इसे करने वाले से प्रश्नों को पंूछकर यह अभिनिश्चय करना चाहिए कि वह स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है तथा इसे इसको यह भी बताना चाहिए कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है तथा यह कि यदि वह इसे करता है इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इस मामले में डीएसपी शिन्दे ने प्रत्येक अभियुक्त से प्रश्नों को पूंछा था जिसे इस बात का पता लगाने के लिए इसके समक्ष लाया गया था यदि वह स्वेच्छया संस्वीकृति करना चाहता है तथा उस दिन इसे कानूनी चेतावनी भी दिया गया था। संस्वीकृति करने के अपने उत्सुकता को अभियुक्त द्वारा दिखाये जाने के बाद भी शिन्दे ने इसे संस्वीकृति करने के अपने तत्परता पर विचार करने के लिए 48 घंटे से अनधिक का समय दिया था। जब अभियुक्त को पुनः इसके समक्ष लाया गया था इसने पुनः अभिनिश्चय किया था यदि वह अभी भी कथन करने के लिए तैयार एवं उत्सुक है। इसने इससे यह भी पूंछा था यदि वह इसे किसी दबाव या प्रपीड़न या धमकी में कर रहा है। केवल अभियुक्त द्वारा नकारात्मक में जवाब देने के बाद इसने अभियुक्त से वह सब कुछ कहने के लिए कहा था जिसे वह सुरेश दूबे के हत्या के बारे में कहना चाहता है। इन तथ्यों तथा परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि करना तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उठाये गये तर्क को स्वीकार करना संभव नही है कि अभियुक्त के संस्वीकृतियों को अभिलिखित करते समय शिन्दे ने नियम 15(2) का उल्लंघन किया था।

19. ***शिराज अहमद*** *(ऊपर)* ऐसा मामला है जहाँ इस न्यायालय के दो जजों की पीठ ने टाडा एक्ट की धारा 15 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृति के ग्राह्यता पर विचार करते समय धारा 15 के आपवादिक प्रकृति तथा ***कर्तार सिंह*** *(ऊपर)* में संविधान पीठ द्वारा अधिकथित दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट किया था। इस न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि रक्षोपायो के अवज्ञा में किये गये किसी संस्वीकृति पर भरोसा न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

50. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि संस्वीकृतिक कथन को अभिलिखित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में पर्याप्त मात्रा में विश्वास रखा गया है। पुलिस को संस्वीकृतिक कथन दाण्डिक न्याय के प्रशासन से संबंधित सामान्य विधि के अन्तर्गत ग्राह्य नही है, जिसे टाडा एक्ट के अन्तर्गत ग्राह्य बनाया गया है तथा इसलिए, टाडा एक्ट की धारा 15 सपठित टाडा नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के कठोर अनुपालन का अनुसरण किया जाना अपेक्षित होता है। इसमें उपबंधित सुरक्षोपायो के अवज्ञा में किये गये किसी संस्वीकृति पर भरोसा न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा। संस्वीकृति उस व्यक्ति को जो स्वेच्छया अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है पर डाले गये किसी बल या दबाव अथवा दिये गये प्रलोभन या उत्प्रेरणा के बिना स्वेच्छया किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति साक्ष्य के न्यायालय द्वारा विचार किये जाने के लिए ग्राह्य नही होता है। यद्यपि पहले के प्रावधानों में कतिपय अपवाद है लेकिन तथ्य यह है कि नियम के रूप में पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य नही बनाया जाता है। विचार यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी जो व्यक्ति के अभियोजन तथा अन्वेषण से जुड़ा है से किये गये किसी कथन को साक्ष्य के रूप में नही किया जायेगा। टाडा एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत, यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी से किये गये संस्वीकृति को ग्राह्य बनाया जाता है, यह पुलिस अधिकारी से की गई फिर भी संस्वीकृति होगा तथा इस प्रकार अन्तर्निर्हित सुरक्षोपाय को टाडा एक्ट की धारा 15 संपठित टाडा नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत उपबंधित किया गया है जिससे इसके स्वैच्छिक होने तथा किसी बल या दबाव तथा प्रलोभन या उत्प्रेरणा के बिना होने के नाते पुलिस अधिकारी से किये गये संस्वीकृति पर विश्वास किया जा सके। कर्तार सिंह में इस न्यायालय के संविधान पीठ ने संस्वीकृति के स्वैच्छिक प्रकृति को साबित करने के लिए शर्त को अधिकथित किया है।

x x x x x x x x x

52. उपरोक्त प्रमाणपत्र को पढ़ने मात्र से, यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि इसने अभियुक्त को बताया है कि अभियुक्त संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है तथा यदि वह ऐसा करता है तो इस प्रकार के संस्वीकृति का उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। यह अभिलिखित किया जाना आगे आवश्यक है कि वह विश्वास करता है कि संस्वीकृति को स्वेच्छया किया गया था। इसे अभिलिखित करना पड़ता है कि संस्वीकृतिक कथन को इसके द्वारा इसके उपस्थिति में लिया गया है तथा सुना गया है एवं अभिलिखित किया गया है। संस्वीकृतिक कथन को इसे करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए तथा इसके द्वारा सही स्वीकार किया गया है तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि इसमें अभियुक्त द्वारा किये

गये कथन का पूरा तथा सत्य विवरण अन्तर्विष्ट है। प्रमाण पत्र जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाना आवश्यक है मात्र औपचारिकता नही है, बल्कि यह इस बात का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु है कि पुलिस अधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्णतया जानते हुए संस्वीकृति को अभिलिखित किया है कि इसके द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति स्वैच्छिक संस्वीकृति है तथा जानकारी अभियुक्त को प्राप्त है कि वह इस प्रकार की संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है तथा यदि वह ऐसा करता है इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जायेगा। पुलिस अधिकारी जिसे संस्वीकृति अभिलिखित करना है सुसंगत समय पर इन तथ्यों को उस व्यक्ति के जानकारी में लाने के लिए कर्तव्यबद्ध है जिसकी संस्वीकृति अभिलिखित किया जाना है।

20. ***अजीत सिंह*** *(ऊपर)* के मामले में, इस न्यायालय के दो जजों की पीठ ने पुनः टाडा एक्ट की धारा 15 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृतियों के ग्राह्यता पर विचार किया था। धारा 15 के कठोर प्रकृति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने बल दिया था कि टाडा एक्ट एक कठोर दण्ड कानून है तथा इसलिए इसके प्रावधानों का अर्थ इस परिप्रेक्ष्य में लगाया जाना चाहिए। पूववर्ती निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि धारा 15 सामान्य विधि से स्पष्ट प्रत्यन्तर है कि पुलिस अधिकारी को किया गया कथन साक्ष्य में ग्राह्य नही है। ***कर्तार सिंह*** *(ऊपर)* का ध्यान दिलाने हुए यह संप्रेक्षित किया गया था कि संविधान पीठ ने धारा 15 के शक्तिमत्ता की पुष्टि करते हुए बार-बार पूर्णतया नये प्रक्रिया को अधिकथित करते हुए एक के रूप में उक्त प्रावधान के कठोरता पर विचार किया था तथा बल दिया था कि टाडा एक्ट तथा टाडा नियमावली के प्रावधानों को ईमानदारी पूर्वक संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने से संबंधित प्रावधानों के विशेष संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस मामले के तथ्यों में, यह अवेक्षित किया गया था कि वास्तविक संस्वीकृतियों को अभिलिखित करने के पहले विचार हेतु अभियुक्त को 15 से 30 मिनट का समय दिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को पर्याप्त क्रोध शांत करने का समय नहीं दिया गया था। यह भी पाया गया था कि अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि संस्वीकृतिक कथनों को संबंधित मजिस्टेªट को पेश नही किया गया था। इन परिस्थितियों मेंें, इस न्यायालय ने निम्नवत् संप्रेक्षित किया था:

13. वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में पूर्वोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरी राय है कि किसी अभियुक्त को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था क्योंकि ये लोग प्रत्येक मामले में लगभग 45 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में थे। हम यह भी संप्रेक्षित करते हैं कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह पता चले कि नियम 15 के उपनियम (5) के अधीन विचारित विशेष रिपोर्ट मजिस्टेªट के पास पेश किया गया था। इसलिए संस्वीकृतियों को किसी प्रयोजन हेतु ध्यान में नही रखा जा सकता है।

21. इस विषय पर विधि का निरीक्षण करने के पश्चात आइए तीनों संस्वीकृतिक कथनों का उल्लेख करें।

22. मोहम्मद सलीम जरगर (प्रत्यर्थी सं0 1) के संस्वीकृतिक कथन को अभियोजन साक्षी-12, पुलिस अधीक्षक श्री ए.के. सूरी द्वारा 16-09-1990 (एवमेव) को अभिलिखित किया गया था। निम्न ज्ञापन को संस्वीकृतिक कथन के साथ संलग्न किया गया था:

> *ऊपर नामित व्यक्ति जिसे सम्प्रति श्रीनगर में बीएसएफ कैम्प में रखा गया है अपने अपराध से आकस्मिक अलगाव करने के संबंध में मेरे समक्ष अपनी उत्सुकता व्यक्त किया है। इसे यह बताया गया है कि वह किसी संस्वीकृति को करने के लिए बाध्य नही है तथा यदि वह ऐसा करता है, इसका उपयोग इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद भी वह अपने अपराध की संस्वीकृति करना चाहता है। इससे आगे प्रश्न पूछने पर हमने स्वयं समाधान किया है कि वह स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है।*

हस्ताक्षर/16-09-90

(ए.के. सूरी)

पुलिस अधीक्षक

सीबीई/एसआईसी-यू, नई दिल्ली

22.1 उपरोक्त से, यह देखा जाता है कि प्रत्यर्थी सं0 1 को श्रीनगर में एक बीएसएफ शिविर में रखा गया था जहाँ इसके संस्वीकृति को अभिलिखित किया गया था। लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं है कि संस्वीकृति को कहाँ अभिलिखित किया गया था। आगे, समय जब संस्वीकृति से अभिलिखित किया गया था का उल्लेख नही किया गया था। अभियोजन साक्षी-12 ने यह भी उल्लेख नहीं किया था कि क्या इसने संस्वीकृति करने के पहले प्रत्यर्थी सं0 1 को विचार करने का कोई समय दिया था जो सबसे अधिक निर्णायक है। यह कथन इतना अस्पष्ट है जितना यह हो सकता है। इस प्रकार, उन सन्नियमों से स्पष्ट प्रत्यन्तर है जो संस्वीकृति को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है।

22.2 अभिलेख में प्रश्नोत्तरी के रूप में कोई कथन अन्तर्विष्ट नही है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियोजन साक्षी-12 के पास यह विश्वास करने का कारण था कि प्रत्यर्थी सं0 1 स्वेच्छया संस्वीकृति कर रहा है। आगे, अपने साक्ष्य में अभियोजन साक्षी-12 ने कहा था कि वह नई दिल्ली में बतौर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पदस्थ है। वह 06-08-1990 को श्रीनगर के दौरे पर था जब प्रत्यर्थी सं0 1 को इसके समक्ष पेश किया गया था। प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृतिक कथन को बीएसएफ शिविर में उपर्युक्त दिन अर्थात 06-08-1990 को अभिलिखित किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूँकि संस्वीकृति को उपर्युक्त दिन को अभिलिखित किया गया था, विचार करने का मुश्किल से कोई या बिल्कुल समय नही दिया गया था जिसने उक्त संस्वीकृतिक कथन को संदूषित किया है। एक और पहलू है जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। संस्वीकृतिक कथन में संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 16-09-1990 का है जबकि

अभियोजन साक्षी-12 ने अपने साक्ष्य में कहा था कि इसने 06-08-1990 को प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृति को अभिलिखित किया था। यह पुनः गंभीर फर्क है।

22.3 यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं0 1 के इस पूर्णतया संस्वीकृतिक कथन को बी के गंजू (फाइल सं0 6/सीएच, सीबीआई बनाम मोहम्मद सलीम जरगर, निर्णय दिनांक 21-12-2002) की हत्या करने से संबंधित एक पूर्व मामले में विशेष न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था। जहाँ उक्त संस्वीकृतिक कथन को अग्राह्य तथा अविश्वसनीय माना गया था।

23. इस न्यायालय ने रविन्दर सिंह बनाम सुखवीर सिंह (2013) 9 एससीसी 245 के मामले में विवाद्यक विवंध के सिद्धांत की जांच किया था। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दाण्डिक कार्यवाहियों का अभिखण्डन करने के अनुरोध से उद्भूत मामला था। इस न्यायालय ने निम्न तरीके से विवाद्यक विवंध के सिद्धांत को स्पष्ट किया था:

25. विवाद्यक विबंध के सिद्धांत को "वाद हेतुक विवंध" के रूप में भी जाना जाता है एवं यह दोहरे परिसंकट या पूर्व दोषमुक्ति के सिद्धांत से भिन्न है, जैसा धारा 300 द0प्र0सं0 में सम्मिलित है। यह सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ तथ्य के विवाद्यक का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा पहले के अवसर पर किया गया है तथा अभियुक्त के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुँचा गया है। इस प्रकार का निष्कर्ष तत्पश्चात अभियोजन के विरुद्ध विवंध या प्राड्.न्याय का गठन करेगा लेकिन भिम्न या सुभिन्न अपराध हेतु अभियुक्त के विचारण तथा दोषसिद्धि के वर्जन के रूप में कार्य नही करेगा। यह केवल साक्ष्य के स्वीकृति को प्रवारित करेगा यह पहले ही अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करेगा जब अभियुक्त पर विचारण तत्पश्चात भिन्न अपराध के लिए भी किया जाता है, जिसे धारा 300 (2) द0प्र0सं0 द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, विवाद्यक विवंध का नियम उस विवाद्यक के पुनः मुकदमेंबाजी को रोकता है जिसका अवधारण पक्षकारों के बीच दाण्डिक विचारण में किया गया है-

24. इसलिए, पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृतिक कथन पर भरोसा अभियोजन द्वारा नही किया जा सकता था तथा ठीक ही विशेष न्यायालय द्वारा नामंजूर किया गया था। प्रत्यर्थी सं0 1 के उपर्युक्त संस्वीकृतिक कथन की स्वीकृति बी0के0 गंजू के हत्या के संबंधित पूर्व दाण्डिक विचारण में पहले से अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करेगा। किसी भी दशा में, उक्त कथन स्पष्ट रूप से नियम 15 के अन्तर्गत उपबंधित तथा कर्तार सिंह (ऊपर) में परिगणित प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायो के अननुपालन द्वारा स्पष्ट रूप से संदूषित है।

25. यह प्रत्यर्थी सं0 2 मुस्ताक अहमद खान तथा प्रत्यर्थी सं0 6 मोहम्मद सादिक राठेर के संस्वीकृतिक कथनों को हमारे ध्यान में लाता है। जबकि मुस्ताक अहमद खान के संस्वीकृतिक कथन को 14-08-1990 को अभिलिखित किया गया था, मोहम्मद सादिक राठेर के संस्वीकृतिक कथन को 25-08-1990 को अभिलिखित किया गया था। उपरोक्त दोनों प्रत्यर्थीगण के संस्वीकृतिक कथनों को उसी तरीके से अभिलिखित किया गया था जैसा प्रत्यर्थी सं0 1 के संस्वीकृतिक कथन को अभिलिखित किया था; एक मात्र अंतर यह

है कि प्रत्यर्थी सं0 2 के कथन को संयुक्त पूछतांछ केन्द्र (जेआईसी), श्रीनगर में अभिलिखित किया गया था, जबकि प्रत्यर्थी सं0 6 के कथन को जेआईसी, कोट भलवाल, जम्मू में अभिलिखित किया गया था। इनके संस्वीकृतिक कथनों में संलग्न ज्ञापन में संस्वीकृति अभिलिखित करने का समय तथा जहाँ से इन्हें पेश किया गया था तथा इसी तरह क्या संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के पहले विचार हेतु उक्त प्रत्यर्थीगण को कोई समय दिया गया था अन्तर्विष्ट नही था। यह सबसे अधिक निर्णाय लोप है जिसने पूर्ण तथा संस्वीकृतिक कथनों को संदूषित किया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं0 2 तथा 6 द्वारा किये गये संस्वीकृतिक कथनों के स्वैच्छिक प्रकृति का अभिनिश्चय करने के लिए अभियोजन साक्षी 12 द्वारा प्रश्नोत्तरी के रूप में कथनों को अभिलिखित नही किया गया था। उपरोक्त के अलावा, ऊपर प्रत्यर्थीगण के संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के लिए अभियोजन साक्षी-12 को कोई अनुमोदन प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी पेश नहीं किया गया है।

25.1 अभियोजन साक्षी-12 ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया था कि वह 14-08-1990 को श्रीनगर के दौरे पर था जब प्रत्यर्थी सं0 2 को इसके समक्ष जेआईसी में पेश किया गया था तथा इसने इसी दिन प्रत्यर्थी सं0 2 के संस्वीकृति को अभिलिखित किया था। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी-12 ने कहा है कि वह 25-08-1990 को जम्मू के दौरे पर था जब प्रत्यर्थी सं0 6 को जेआईसी में इसके समक्ष पेश किया गया था जहाँ इसने उसी दिन प्रत्यर्थी सं0 6 के संस्वीकृति को अभिलिखित किया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि चूँकि उपरोक्त दोनों प्रत्यर्थीगण के संस्वीकृतिक कथनों को पेश किये जाने के दिन को अभिलिखित किया गया था, विचार हेतु इन्हें मुश्किल से कोई या बिल्कुल समय नही दिया गया था जिसने उक्त दोनों संस्वीकृतिक कथनों को पूर्णतया संदूषित किया है।

26. **कर्तार सिंह** *(ऊपर)* कहता है कि संस्वीकृति को एक स्वतंत्र वातावरण में अभिलिखित किया जाना चाहिए। भारी पहरा लगे बीएसएफ कैम्प में या जेआईसी में संस्वीकृतिक कथनों का अभिलिखित किया जाना जहाँ अभियुक्त के लिए वातावरण सामान्यतया निरुत्साहित करने वाला तथा उद्धत होगा को स्वतंत्र वातावरण नही कहा जा सकता है। यह अभिलेख पर आया है कि इस प्रकर अभिलिखित किये गये संस्वीकृतिक कथनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया गया था जहाँ के बाद इसे सीधे विशेष न्यायालय भेजा गया था जो पुनः कानून का उल्लंघन है।

27. विधान मण्डल ने प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायो को पूरा करने के अधीन साक्ष्य में समान रूप से ग्राहय बनाने वाले अभियुक्त व्यक्तियों के संस्वीकृतिक कथनों को अभिलिखित करने के कठोर शक्ति को देते हुए पुलिस अधीक्षक तथा ऊपर के पंक्ति में उच्च पुलिस अधिकारियों के निष्पक्षता तथा सच्चेपन में अत्यधिक विश्वास रखा था। लेकिन हम भयभीत है जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायो की पूर्ण उपेक्षा की गई थी। विशेष न्यायालय यह संप्रेक्षित करने से कम पर नही रूका है कि वह शक्ति तथा प्राधिकार के दुरुपयोग का मामला है। यह वास्तव में एक दुःखद आलोचना है कि कैसे इस मामले में प्रकट किया गया अन्वेषण तथा विचारण जहाँ सत्य तथा न्याय दोनों

पीड़ितगण तथा अभियुक्तगण के लिए दुग्राह्य था। यह अकारण नही है कि अब इस प्रकार के कठोर प्रावधानों को निरसित किया गया है। हम यही कहते है अधिक और कुछ नहीं।

28. इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में विशेष न्यायालय द्वारा ग्रहीत विचार में हम कोई त्रुटि या कमजोरी नही पाते है। यह युक्तियुक्त विचार का भी मामला नही है। अन्य विचार संभव नही है। परिणामस्वरूप, दाण्डिक अपील में कोई गुणावगुण नही है जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

<u>दाण्डिक अपील सं0 1770 वर्ष 2009</u>

29. राज्य (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा टाडा एक्ट की धारा 19 के अधीन इस अपील में टाडा एक्ट की धारा 3(1) सपठित रणवीर दण्ड संहिता की धारा 120ख, 302, 368 तथा 364 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने वाले सीबीआई मामला सं0 आरसी 6(एस)/1990 में विशेष न्यायालय द्वार पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 20-04-2009 पर अभ्याक्रमण किया गया है।

30. इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 11-09-2009 द्वारा वर्तमान दाण्डिक अपील को ग्रहण किया था तथा इसे दाण्डिक अपील सं0 1681 वर्ष 2009 के साथ सूचीबद्ध करने का निदेश दिया था। फिर भी, दाण्डिक अपील सं0 1770 वर्ष 2009 (राज्य बनाम ताहिर अहमद मीर तथा एक अन्य) को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04-12-2023 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 के रूप में अभियोजन न किये जाने हेतु खारिज किया गया था।

31. यह दाण्डिक अपील जन सामान्य में मन में आतंक पैदा करने तथा तद्द्वारा सरकार को अपने साथियों को छोड़ने के लिए मजबूर करने के आपराधिक षड्यंत्र करने के पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिकथित रूप से श्री एच.एल. खेरा तत्कालीन महाप्रबन्धक, एचएमटी वाॅच फैक्ट्री श्रीनगर के व्यपहरण तथा तत्पश्चात हत्या से संबंधित घटना से उद्भूत होता है।

32. पूर्व दाण्डिक अपील की भाँति, यहाँ भी हमला का हथियार बरामद नही किया गया था। इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने अभिसाक्ष्य दिया था कि प्रत्यर्थीगण जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया था अभियुक्तगण नही थे। अंततोगत्वा, सम्पूर्ण अभियोजन मामला श्री ए.के. सूरी (यहाँ अभियोजन साक्षी-5) द्वारा अभिलिखित मोहम्मद सलीम जरगर (प्रत्यर्थी सं0 2) के संस्वीकृतिक कथन के आसपास केन्द्रित है जिसे हमने पहले ही दाण्डिक अपील सं0 1681/2009 में नामंजूर किया है।

33. बताये गये कारणों पर दाण्डिक अपील सं0 1681 वर्ष 2009 को खारिज करते हुए वर्तमान दाण्डिक अपील भी असफल होता है तथा तद्नुसार खारिज किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीले खारिज।

शीर्ष टिप्पणियाँ निधि जैन द्वारा तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)